

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

10न0 - 529 / 2025

निवान : -

- 1 सहीराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी मेहरवाला त0 टिब्बी।
- 2 राजेन्द्र पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी मेहरवाला त0 टिब्बी।

वादीगण

बनाम

- 1 लिछमादेवी पत्नी पेमाराम जाति मेघवाल निवासी मेहरवाला त0 टिब्बी।
- 2 भागवन्ती पुत्री पेमाराम पत्नी महिन्द्र कुमार जाति मेघवाल निवासी भारुखेड़ा त0 डबवाली जिला सिरसा।
- 3 मन्जू पुत्री पेमाराम पत्नी मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी अबूवशहर त0 डबवाली जिला सिरसा।
- 4 मंजूदेवी पुत्री पेमाराम पत्नी मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी सलेमगढ मसानी त0 टिब्बी।
- 5 लीलादेवी पुत्री पेमाराम पत्नी भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी बिज्जूवाली त0 व जिला सिरसा।
- 6 सरोज देवी पुत्री पेमाराम पत्नी नन्दलाल जाति मेघवाल निवासी जण्डवाला त0 डबवाली जिला सिरसा।
- 7 चावली देवी पुत्री केसरा पत्नी श्योकरण जाति मेघवाल निवासी दुडियावाली त0 रानिया जिला सिरसा।
- 8 रेशमा देवी उर्फ चावली पुत्री केसरा पत्नी कृपाल जाति मेघवाल निवासी भारुखेड़ा त0 डबवाली जिला सिरसा।

प्रतिवादीगण


आज यह वाद मुझ उपखण्ड अधिकारी सत्यनारायण के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता श्री सुभाष गर्ग वादी एवं श्री करनैल सिंह प्रतिवादीगण की उपस्थित में डिक्री किया जाकर चक नं0 15 एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 19/19 में कुल 2.025 है0 में वादीगण प्रत्येक व वादीगण की माता प्रतिवादीया सं0 1 व वादीगण की बहिने प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 प्रत्येक का 1/64 हिस्सा तथा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 की बुआ प्रतिवादीगण सं0 7 व 8 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा तथा चकनं0 15 एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 41/44 में कुल 0.759 है0 में वादीगण प्रत्येक व वादीगण की माता प्रतिवादीया सं0 1 व वादीगण की बहिन प्रतिवादीया सं0 2 ता 6 प्रत्येक का 1/128 हिस्सा व वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 की बुआ प्रत्येक का 1/16 हिस्सा में निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

वादीगण को बं0हि0ब0 प्राप्त आराजी : - चकनं0 15 एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 19/19 में 2.025 है0 में से प्रतिवादीया सं0 1 ता 6 प्रत्येक का 1/64 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं0 7 व 8 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा तथा इसी चक के खाता सं0 41/44 में अंकित

कुल 0.759 है० में से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 6 प्रत्येक का 1/128 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं० 7 व 8 प्रत्येक के 1/16 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा। इसी अनुसार चक 15 एसएलडब्ल्यू के खाता सं० 19/19 व खाता सं० 41/44 में से प्रतिवादी सं० 1 ता 6 का नाम कलमजन किया जावे व प्रतिवादीया सं० 7 व 8 का हिस्सा उपरोक्तानुसार कम किया जावे। कृषि भूमि पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 14/01/26.....को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई है।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन महायुक्त कलेक्टर R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
डिब्री
डिब्री जिला हनुमानगढ़